

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 73] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28, 1981/फाल्गुन 9, 1902
No. 73] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1981/PHALGUNA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विस्त संज्ञालय

(राजस्व विभाग)

प्रवित्तुचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1981

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां०कां०नि० 87(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944
(1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
और भारत सरकार के विस्त संज्ञालय (राजस्व विभाग) की तारीख 29 नवम्बर, 1980 की
प्रवित्तुचना सं० 184ए/80-के० उ० शु० को अधिष्ठापित करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम
की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद सं० (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार
शुल्क से प्रभाव्य चीनी के लिए पांच सौ नब्बे रुपये (रु० 590) प्रति क्विंटल, टैरिफ मूल्य नियत करती है :

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीनी को लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार, आवश्यक दस्ता अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन किए जाने की अपेक्षा करती है।

2 यह अधिसूचना 1 मार्च, 1981 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 187/81—के० उ० शु०/का० सं० 7/1/81—के० उ० शु०—1]

सी०एन०बी० नायर, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1981

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 87(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 184-A/80-Central Excises, dated the 29th November, 1980, the Central Government hereby fixes a tariff value of five hundred and ninety rupees (Rs. 590) per quintal of sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty ad valorem :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

2. The notification shall come into force on the 1st day of March, 1981.

[No. 18A/81-CE/F No 7/1/81 CX.1]

C. N. BALAKRISHNAN NAIR, Under Secy.